सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
नं 1, विल्लियम्स रोडतिरुच्चिरा ,कन्टोनमेंट ,प्पल्लि620- 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं.V।।।/09/04/2017-सीशु नीति दिनांक 04.01.2017

स्थायी आदेश सं.: **03**/2017

विषय: प्रतिकारी शुल्क की प्रति अदायगी के रूप में वापसी/दावा ।

पाटन-विरोधी शुल्क एवं रक्षोपाय शुल्क की प्रति अदायगी के रूप में वापसी/दावा के लिए जारी बोर्ड का परिपत्र सं 49/2017-सीशु देखें फा.सं. 609/97/2017-प्रअ दिनांक 12.12.2017 और परिपत्र सं 106/95-सीशु दिनांक 11.10.1995 और 23/2015-सीशु दिनांक 29.09.2015 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. प्रतिकारी शुल्क जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाती है, के बारे में बोर्ड ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है :

i. बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 75 के अनुसार प्रतिअदायगी के रूप में इन शुल्कों पर भी छूट दी जा सकती है। चूंकि शुल्क प्रतिअदायगी की अखिल ओद्योगिक दरों को निर्धारित करते समय प्रतिकारी शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है, अतः ऐसे प्रतिकारी शुल्क की वापसी का दावा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 और/या सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017, जैसी भी स्थिति हो के नियम 6 और नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर का आवेदन करके किया जा सकता है। इसका अनिवार्यतः यह अभिप्राय होगा कि प्रतिअदायगी की स्वीकृति तभी होगी जब ऐसा इनपुट जिस पर की प्रतिकारी शुल्क लगा हो का वास्तविक रूप से प्रयोग निर्यातित माल में किया गया हो जो कि ब्रांड दर के निर्धारण के लिए कराए जानेवाले सत्यापन में अभिपुष्ट हो गया हो।

ii. जहॉ प्रतिकारी शुल्क वाले आयातित माल का यथा रूप में देश के बाहर निर्यात किया जाता है तो उस समय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अंतर्गत भुगतान किए जानेवाले प्रतिअदायगी में प्रतिकारी शुल्क को भी भुगतान की जानेवाली सभी शुल्क में एक हिस्से के रूप में शामिल किया जायेगा बशर्ते कि और अन्य शर्ते पूरी हो रही हों।

3. सभी अधिकारियों को उपरोक्त अनुदेशों को निष्ठापूर्वक पालन करने का निदेश दिया जाता है । कोई भी कठिनाई आने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए ।

अशोक
(अशोक)
आयुक्त

प्रतिलिपि : सभी मंडल/एअर कार्गो, हवाई पत्तन,तिरुच्चि को सभी अधिकारियों में परिचालित करने हेतु/ आयुक्तालय की बैवसाइट

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.

To:

Scanned by CamScanner

44/18

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF CUSTOMS
4 JAN 2018
तिरुच्चिरापल्लि / TIRUCHIRAPPALLI-1

26

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620001, कन्टोनमेंट,
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI- 620 001
Tel / Fax: 0431-2418819:: E-mail: cuspoltry@gmail.com

C.No.VIII/09/04/2017-Cus.Pol Date: .12.2017

STANDING ORDER NO. 03/2017

Sub: Refund/Claim of Countervailing duty as Duty Drawback

Attention is drawn ~~to invited~~ to Board's Circular No. 49/2017- Cus issued vide F. No. 609/97/2017-DBK dated 12.12.2017 and to the Circular Nos. 106/95-Cus dated 11.10.1995 and 23/2015- Cus dated 29.9.2015 regarding refund/claim of Anti-Dumping Duty and Safeguard Duties as Duty Drawback respectively.

2. With respect to Countervailing Duties which are leviable under section 9 of the Customs Tariff Act the following clarification were made by the Board.

i). The Board clarifies that these are rebatable as Drawback in terms of Section 75 of the Customs Act. Since Countervailing Duties are not taken into consideration while fixing All Industry Rates of Duty Drawback, the Drawback of such Countervailing Duties can be claimed under an application for Brand Rate under Rule 6 or Rule 7 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 and/or the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as the case may be. This would necessarily mean that drawback shall be admissible only where the inputs that suffered Countervailing Duties were actually used in the goods exported as confirmed by the verification conducted for fixation of Brand Rate.

ii).Where imported goods subject to Countervailing Duties are exported out of the country as such, then the Drawback payable under Section 74 of the Customs Act, 1962 would also include the incidence of Countervailing Duties as part of total duties paid, subject to fulfilment of other conditions.

3. All the officers are directed to follow the above instructions scrupulously. Difficulty, if any, in implementation may be brought to the notice of this office.

04/01/2018
(ASHOK)
COMMISSIONER

Copy to: All Divisions/Aircargo, Airport Trichy to circulate among all officers /Commissionerate website.

Copy submitted to: The Chief Commissioner of Customs (Preventive) Trichy

Scanned by CamScanner